**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर**
राजस्व वाद 65/2019 (2019/00054)

छोटूलाल पुत्र लक्ष्मण कहार आयु वयस्क निवासी मेहरूकंला तहसील सावर जिला अजमेर
---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थानसरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सावर जिला अजमेर
--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम

**आदेश**

दिनांक 23.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प गेंहरूकंला तहसील सावर जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम मेहरूकंला** की जमाबन्दी संवत **2072–75** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

| खाता संख्या (नया–पुराना) | खसरा नम्बर | रकबा (है.) | किस्म |
|---|---|---|---|
| 364–313 | 1362 | 0.12 है. | बारानी 2 |
| | 1363 | 0.49 है. | बारानी 2 |
| | कुल किता 2 | कुल रकबा 0.61 है. | |

वर्किंग जमाबन्दी संवत **2079–**

| खाता संख्या (नया–पुराना) | खसरा नम्बर | रकबा (है.) | किस्म |
|---|---|---|---|
| 993–994 | 971 | 0.12 है. | बीड |
| | 972 | 0.49 | बीड |

उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी है, राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज चला आ रहा है। तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त स्वामित्व आधिपत्य व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। राजस्व अधिकारियों ने लापरवाहीपूर्वक कार्य करते हुये प्रार्थी की जाति कहार के स्थान पर बैरवा अंकित है। जबकि प्रार्थी की वास्तविक जाति कहार है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित एंव न्याय संगत है। जमाबन्दी स. 2023–26 तक प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में कहार अंकित थी। लेकिन अप्रार्थी ने लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुये प्रार्थी की जाति कहार के स्थान पर चमार अंकित कर दिया तथा उसके पश्चात चमार के स्थान पर बैरवा अंकित कर दिया जो गलत होने से दुरूस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थी को दिनां क 6.5.2019 को निवेदन किया तो टालमटोल करते रहे। तथा श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत कर आदेश लाने के लिये कहा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:36:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

अतः यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मेहरूकंला कीप्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के तमाम राजस्व अभिलेखो में प्रार्थी की जाति बैरवा के स्थान पर कहार अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने का निवेदन किया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब में बताया कि ग्राम मेहरूकंला की जमाबन्दी स. 2023–26 में छोटू पि. लक्ष्मण कहार दर्ज है। वर्किंग जमाबन्दी स. 2041 मेंछोटू पि. लक्ष्मण कोम चमार दर्ज है एंव वर्तमान जमाबन्दी 2075 में से स्थाई में छोटू पि. लक्ष्मण जाति बैरवा दर्ज है। अतः जमाबन्दी सं. 2023–26 के अनुसार ग्राम मेहरूकंला की जमाबन्दी स. 2075 – स्थाई में खाता स. 346–में प्रार्थी छोटू की जाति बैरवा के स्थान पर कहार किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पेरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया । जमाबन्दी स. 2023–26 में छोटू पि. लक्ष्मण कहार दर्ज है। वर्किंग जमाबन्दी स. 2041 मेंछोटू पि. लक्ष्मण कोम चमार दर्ज है एंव वर्तमान जमाबन्दी 2075 में से स्थाई में छोटू पि. लक्ष्मण जाति बैरवा दर्ज है। अतः जमाबन्दी सं. 2023–26 के अनुसार ग्राम मेहरूकंला की जमाबन्दी स. 2075 – स्थाई में खाता स. 346 में प्रार्थी छोटू की जाति बैरवा के स्थान पर कहार होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जमाबन्दी स. 2075 – स्थाई में खाता स. 346 में प्रार्थी छोटू की जाति बैरवा के स्थान पर कहार का नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सावर को दिये जाते है। बाकी इन्द्राज बदस्तूर रहेंगें।खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 23.11.2021 को केम्प मेहरूकंला मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:36:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner